

कार्यालय:- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर (म0प्र0)

//संशोधित-आदेश//

क्रमांक / ०४ / एक / 11 / 03 / सां. / 2010

अशोकनगर, दिनांक ०४.०४.२४

माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर के आदेश क्रं 313/गोपनीय/2024/दो-3-1/2024 दिनांक 22.03.2024, आदेश क्रं 315/गोपनीय/2024/दो-3-1/2024 दिनांक 22.03.2024 एवं आदेश क्रं 317/गोपनीय/2024/दो-3-1/2024 दिनांक 22.03.2024 के द्वारा क्रमशः श्री अजय कुमार नागेश की पदस्थापना व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, ईसागढ़ के रूप में, सुश्री पारूल चौकसे की पदस्थापना प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, मुंगावली के रूप में, श्रीमती हर्षिता शर्मा गौर की पदस्थापना प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड के तृतीय अति० न्यायाधीश के रूप में, सुश्री गौरी सक्सैना की पदस्थापना प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड के प्रथम अति० न्यायाधीश के रूप में एवं श्री ध्रुव अग्रवाल की पदस्थापना प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड के रूप में की गयी है।

माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0, जबलपुर के आदेश क्रं 45/गोप०/2024/दो-2-1/2024 जबलपुर, दिनांक 26.01.2024, आदेश क्रं 80/गोप०/2024/दो-3-1/2024 जबलपुर, दिनांक 05.02.2024 एवं आदेश क्रं 150/गोप०/2024/दो-3-1/2024 जबलपुर, दिनांक 23.02.2024 के द्वारा क्रमशः श्रीमती अर्चना रघुवंशी, तत्कालीन प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड के द्वितीय अति० न्यायाधीश, अशोकनगर, श्री दीनानाथ वाडिवा, तत्कालीन व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, मुंगावली, श्रीमती दुर्गा सोलंकी, तत्कालीन तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, अशोकनगर एवं श्री कर्नल सिंह श्याम, तत्कालीन तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, मुंगावली का पदोन्नति स्थानांतरण अन्य न्यायिक जिला स्थापनाओं पर होने से उक्त न्यायालय रिक्त हो गये हैं।

अतः इसके फलस्वरूप कार्य विभाजन आदेश क्रं 01 दिनांक 02.01.2023 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है, जो पीठासीन अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से प्रभावशील होगा:-

स.क्र.	न्यायालय का नाम	न्यायिक क्षेत्र	प्रकरणों का स्वरूप
1.	2.	3.	4.
कार्य विभाजन आदेश क्रं 01 दिनांक 02.01.2023 के पृष्ठ क्रमांक 12 के सरल क्रं 10, 11, 12, पृष्ठ क्रं 13 के सरल क्रं 13, 15, पृष्ठ क्रं 14 के सरल क्रं 19, 20, पृष्ठ क्रं 15 के सरल क्रं 21, 22 एवं 24 को निम्नानुसार पढ़ा जावे एवं पृष्ठ क्रमांक 14 के सरल क्रं 19 के पश्चात् सरल क्रं 19ए निम्नानुसार स्थापित किया जाता है :-			
10	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, अशोकनगर	-	रिक्त न्यायालय
11	प्रथम व्यापक न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के द्वितीय अति० न्यायाधीश	-	रिक्त न्यायालय
12	प्रथम व्यापक न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, अशोकनगर के तृतीय अति० न्यायाधीश	अशोकनगर, शादौरा एवं नईसराय (अवधि दिनांक 01.05.24 से 30.06.24 एवं 01.09.24 से 31.	1. व्यवहारवाद जिनका मूल्यांकन रुपये पांच लाख एक से एक करोड़ रुपये तक, मय दिवालिया प्रकरण के। 2. ऐसे सभी व्यवहार प्रकरण, जो सुनवाई हेतु प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जावेगे।

स.क्र.	न्यायालय का नाम	न्यायिक क्षेत्र	प्रकरणों का स्वरूप
1.	2.	3.	4.
		10.24 तक के लिए एवं तहसील ईसागढ़	<p>3. लघुवाद अधि. के अंतर्गत पाँच सौ रुपये तक के प्रकरण।</p> <p>4. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधि. के अंतर्गत प्रस्तुत अपीलें।</p> <p>5. मुस्लिम महिला तलाक एवं संरक्षण अधि० 1986 के अंतर्गत समस्त प्रकरण।</p> <p>6. भारतीय उत्तराधिकार अधि.के अंतर्गत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र हेतु प्रकरण।</p> <p>7. क्रं. 1 लगायत 6 के प्रकरणों से उत्पन्न होने वाले विविध व्यवहार वाद एवं प्रवर्तन।</p>
13	प्रथम व्या० न्याया० वरिष्ठ खण्ड, अशोकनगर के तृतीय अति० न्यायाधीश, शृंखला न्यायालय ईसागढ़.		विलोपित
15	प्रथम व्य० न्याया०, कनिष्ठ खण्ड, अशोकनगर	अशोकनगर	<p>1. व्यवहारवाद जिनका मूल्यांकन रुपये एक से पांच लाख रुपये तक है, मय दीवालिया प्रकरण क।</p> <p>2. ऐसे सभी व्यवहार प्रकरण जो सुनवाई हेतु प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जावेंगे।</p> <p>3. विविध व्यवहारवाद एवं प्रवर्तन कॉलम क्र० 01 एवं 02 से उत्पन्न होने पर।</p>
19	प्रथम व्य० न्याया०, कनिष्ठ खण्ड के प्रथम अति. न्यायाधीश, अशोकनगर	शाढ़ौरा एवं नईसरायं	<p>1. व्यवहारवाद जिनका मूल्यांकन रुपये एक से पांच लाख रुपये तक है, मय दीवालिया प्रकरण क।</p> <p>2. ऐसे सभी व्यवहार प्रकरण जो सुनवाई हेतु प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जावेंगे।</p> <p>3. विविध व्यवहारवाद एवं प्रवर्तन कॉलम क्र० 01 एवं 02 से उत्पन्न होने पर।</p>
19ए	व्यवहार न्याया०, कनिष्ठ खण्ड, ईसागढ़	तहसील ईसागढ़	<p>1. व्यवहारवाद जिनका मूल्यांकन रुपये एक से पांच लाख रुपये तक है, मय दीवालिया प्रकरण क।</p> <p>2. ऐसे सभी व्यवहार प्रकरण जो सुनवाई हेतु प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जावेंगे।</p> <p>3. विविध व्यवहारवाद एवं प्रवर्तन कॉलम क्र० 01 एवं 02 से उत्पन्न होने पर।</p>
20	व्यवहार न्याया० वरिष्ठ खण्ड, मुंगावली		विलोपित
21	व्यवहार न्याया०	तहसील मुंगावली	1. व्यवहारवाद जिनका मूल्यांकन पांच

स.क्र.	न्यायालय का नाम	न्यायिक क्षेत्र	प्रकरणों का स्वरूप
1.	2.	3.	4.
	वरिष्ठ खण्ड, मुंगावली के अधि० न्याया०	एवं पिपरई	<p>लाख एक रूपये से एक करोड़ रूपये तक, मय दीवालिया प्रकरण।</p> <p>2. तहसील मुंगावली में मध्य प्रदेश नगरपालिका अधि. के अधीन प्रस्तुत अपीले।</p> <p>3. मुस्लिम महिला तलाक एवं संरक्षण अधि० 1986 के अंतर्गत समस्त प्रकरण।</p> <p>4. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र हेतु प्रकरण।</p> <p>5. लघुवाद अधि. के अंतर्गत एक से पाँच सौ रू. तक के प्रकरण।</p> <p>6. ऐसे साम्प्रतिक प्रकरण जो सुनवाई हेतु प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जावेगे।</p> <p>7. तहसील मुंगावली के समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के न्यायालय, चाहे वर्तमान में रिक्त हो या पूर्व से रिक्त चले आ रहे हैं, के न्यायालयों के द्वारा पारित निर्णय/आदेश, जो अपील न्यायालय से वापस प्राप्त होने पर, उनका निराकरण करेंगे एवं उनके न्यायालयों के सभी प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन प्रकरण तथा विविध कार्यवाहियां संपादित करेंगे।</p> <p>8. विविध व्यवहारवाद एवं प्रवर्तन कॉलम क्रमांक 1 लगायत 7 से उत्पन्न होने पर।</p>
22	प्रथम व्य० न्याया०, कनिष्ठ खण्ड, मुंगाली	तहसील मुंगावली एवं पिपरई	<p>1. व्यवहारवाद जिनका मूल्यांकन रूपये एक से पांच लाख रूपये तक है, मय दीवालिया प्रकरण के।</p> <p>2. ऐसे सभी व्यवहार प्रकरण जो सुनवाई हेतु प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-2 पर अंतरित किये जावेगे।</p> <p>3. विविध व्यवहारवाद एवं प्रवर्तन कॉलम क्रमांक एक, दो से उत्पन्न होने पर।</p> <p>4. तहसील मुंगावली एवं पिपरई के समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के न्यायालय, चाहे वर्तमान में रिक्त हो या पूर्व से रिक्त चले आ रहे हैं, के न्यायालयों के द्वारा पारित निर्णय/आदेश, जो अपील न्यायालय से वापस प्राप्त होने पर, उनका निराकरण करेंगे एवं उनके न्यायालयों के सभी प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन प्रकरण तथा विविध कार्यवाहियां संपादित करेंगे।</p>
24	तृतीय व्य० न्याया०, कनिष्ठ खण्ड, मुंगावली		रिक्त न्यायालय

नोट—

1— उक्त आदेश पीठासीन अधिकारी के द्वारा पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से प्रभावशील होगा।

2- ग्रीष्मकालीन/शीतकालीन अवकाश की अवधि में प्रस्तुत होने वाले व्यवहारवाद सिविल न्यायालय नियम की धारा 21(5) में दिये गये निर्देशानुसार संबंधित क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय वादपत्र ग्रहण कर विधिवत सुनवाई करेंगे।

3- न्यायाधीशगणों के अवकाश/ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन अवकाश अवधि व अन्य प्रकार से अनुपस्थित रहने की दशा में या न्यायालय रिक्त होने की दशा में न्यायाधीशगण का न्यायिक कार्य विभाजन पत्रक के साथ सलग्न अनुलग्नक-“ए” अनुसार न्यायाधीशगण न्यायालय का कार्य एवं अतिरिक्त आवश्यक कार्य संपादित करेंगे।

Sd/-

(पी0के0 शर्मा)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
अशोकनगर (म0प्र0)

पृ0 क्रमांक 782/एक-11-03/सां0/2010
प्रतिलिपि :-

अशोकनगर दिनांक 8-4-24

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर।
2. श्रीमान् प्रिंसिपल रजिस्ट्रार महोदय, उच्च न्यायालय म0प्र0 खंडपीठ ग्वालियर।
3. प्रथम/द्वितीय/अति0 जिला न्यायाधीश, अशोकनगर/मुंगावली/चंदेरी।
4. प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/अति0 व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं कनिष्ठ खण्ड अशोकनगर/मुंगावली/चंदेरी।
5. जिला रजिस्ट्रार, अशोकनगर
6. कलेक्टर, अशोकनगर।
7. पुलिस अधीक्षक, अशोकनगर।
8. अध्यक्ष अभिभाषक संघ अशोकनगर/मुंगावली/चंदेरी की ओर सूचनार्थ।
9. प्रशासनिक अधिकारी/उप-प्रशासनिक अधिकारी
10. प्रस्तुतकार प्रधान जिला न्यायाधीश, अशोकनगर।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
अशोकनगर (म0प्र0)

31	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड चंदेरी	व्य.न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, मुंगावली (श्रीमती रितिका मिश्रा)	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड चंदेरी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मुंगावली (सुश्री पारूल चौकसे)	व्य.न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, मुंगावली के अति० न्यायाधीश (श्रीमती रिनी खान शेख)	व्य.न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, मुंगावली	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, मुंगावली
32	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड चंदेरी	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड चंदेरी	व्य.न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, मुंगावली (श्रीमती रितिका मिश्रा)	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मुंगावली (सुश्री पारूल चौकसे)	व्य.न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, मुंगावली के अति० न्यायाधीश (श्रीमती रिनी खान शेख)	व्य.न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, मुंगावली	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मुंगावली
33	न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय तहसील अशोकनगर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड अशोकनगर के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश (श्रीमती बबीला प्रजापत)	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड अशोकनगर के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश (श्रीमती हर्षिता शर्मा गौर)	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड अशोकनगर (श्रीमती पूनम कटारिया)	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड के प्रथम अति० न्यायाधीश, अशोकनगर (सुश्री गौरी सकसैना)	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, अशोकनगर (श्री ध्रुव अग्रवाल)	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, अशोकनगर (श्रीमती किरन तुमराची ध्रुवे)
34	न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय तहसील चंदेरी (श्रीमती रितिका मिश्रा)	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड चंदेरी	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड चंदेरी	व्य.न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, मुंगावली के अति० न्यायाधीश (श्रीमती रिनी खान शेख)	व्य.न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, मुंगावली	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मुंगावली (सुश्री पारूल चौकसे)	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मुंगावली

नोट:-

1- विशेष न्यायाधीश (एन०डी०पी०एस०), विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) एवं विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार अधिनियम) के न्यायालय से संबंधित उक्त अधिनियम के अतिआवश्यक प्रकृति के कार्य संबंधित पीटासीन अधिकारी के अवकाश पर होने या अन्यथा अनुपस्थित होने की दशा में सत्र न्यायाधीश अशोकनगर द्वारा सुनवाई में लिये जावेंगे एवं उनके अवकाश पर होने या अन्यथा अनुपस्थिति की दशा में मुख्यालय पर उपस्थित वरिष्ठतम अति० सत्र न्यायाधीश द्वारा सुनवाई में लिये जायेंगे।

2- मुंगावली एवं चंदेरी स्थित अति० सत्र न्यायाधीश के अवकाश पर या अन्यथा अनुपस्थित रहने के दौरान उक्त न्यायालयों के सत्र एवं अन्य आपराधिक प्रकरणों के साधारण प्रकृति के कार्य (गुण, दोष के आधार पर निराकरण को छोड़कर जैसे रिमांड, वारंट एवं आदेश पत्रिकाओं पर हस्ताक्षर) औपचारिक कार्य हेतु मुंगावली एवं चंदेरी स्थित वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा उनकी अनुपस्थिति में उसी क्रम में वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट हस्ताक्षर करने के लिये अधिकृत होंगे।

sd/—
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
अशोकनगर (म०प्र०)

--:: कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर (म.प्र.) ::--

पृ. क्रमांक / 782/एक/11/03/सा./2010

अशोकनगर, दिनांक 8-4-24

प्रतिलिपि :-

- माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर ।
- श्रीमान प्रिंसीपल रजिस्ट्रार महोदय, उच्च न्यायालय म.प्र., खण्डपीठ ग्वालियर ।
- प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अति० जिला न्यायाधीश, अशोकनगर/मुंगावली/चंदेरी ।
- प्र./द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/अति. व्य. न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं कनिष्ठ खण्ड, अशोकनगर/मुंगावली/चंदेरी/ईसागढ़
- जिला रजिस्ट्रार, अशोकनगर
- जिलाध्यक्ष, अशोकनगर।
- पुलिस अधीक्षक, अशोकनगर।
- अध्यक्ष अभिभाषक संघ अशोकनगर/मुंगावली/चंदेरी/ईसागढ़ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रशासनिक अधिकारी/उप-प्रशासनिक अधिकारी अशोकनगर ।
- प्रस्तुतकार प्रधान जिला न्यायाधीश अशोकनगर ।

Bun
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
अशोकनगर (म०प्र०)